

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

दिनांक 29/01/2024

संख्या 15/नि01-02/2021...J.27../ भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त हेतु गठित "सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022"-सह-यथा संशोधित; "सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023"-सह-यथा संशोधित एवं "सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023" में निम्नांकित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (क) यह नियमावली झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024 कही जाएगी।
- (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. "सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम 2 (भ) के बाद नियम 2 (म) के रूप में उर्दू सहायक आचार्य का परिभाषा निम्नवत् अंकित किया जाता है-

सहायक आचार्य (उर्दू) से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय (कक्षा 1 से 8) में अध्यापन करने वाले सहायक आचार्य जो उर्दू भाषा में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों।

3. "सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम-3 (घ) (2) (i) (ii) [प्रथम संशोधित नियमावली के नियम 7 (i) (ii)] में निम्न प्रावधान अंकित है:-

(i) गणित एवं विज्ञान शिक्षक- निम्नलिखित विषयों में स्नातक (विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा)।

(क.) गणित, (ख.) भौतिकी, (ग.) रसायनशास्त्र, (घ.) वनस्पति विज्ञान (च.) प्राणी विज्ञान।

(ii) सामाजिक विज्ञान शिक्षक- निम्नलिखित विषयों में स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा)।

(क.) इतिहास, (ख.) भूगोल, (ग.) राजनीतिशास्त्र, (घ.) अर्थशास्त्र (च.) समाजशास्त्र (छ) लेखा शास्त्र (ज.) व्यापार अध्ययन (Business Studies)।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है

- (i) गणित एवं विज्ञान शिक्षक – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक; गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय के साथ उत्तीर्ण हों।
- (ii) सामाजिक विज्ञान शिक्षक – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/वाणिज्य/प्रबंधन विषय में न्यूनतम 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों।
4. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022” (यथा संशोधित) के नियम-3 (च) (i) (अ) [प्रथम संशोधन नियमावली के नियम 10] के अंतिम पैराग्राफ में निम्न प्रावधान अंकित हैं-“वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका-3 (च) (i) (अ) के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात् “न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड./द्विवर्षीय बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)” के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में छः माह का त्रिज (सेतु) कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जायेगा।”

को विलोपित किया जाता है।

5. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022” (यथा संशोधित) के नियम-3 (च) (ii) (अ) में निम्न प्रावधान है-
“जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय सहायक आचार्य

शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31.05.2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ आवेदित विषय में उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ आवेदित विषय में उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा द्विवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)''

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. (BA, BSC,Ed.) या बी.ए.एड. (BA, Ed.)/बी.एस.सी.एड. (BSC,Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 03 वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.

6. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम-3 (च) (i) (ब) [प्रथम संशोधित नियमावली के नियम 11] में निम्न प्रावधान अंकित हैं :-

“(ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण।

साथ ही, झारखण्ड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखण्ड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

7. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम-3 (च) (ii) (ब) में निम्न प्रावधान अंकित हैं :-

“(ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।

साथ ही, झारखण्ड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कक्षा 6 से 8 के लिये आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण एवं झारखण्ड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता

है कि नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

8. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम-3 (च) (ii) के बाद 3 (च) (iii) के रूप में निम्नांकित प्रावधान को अंतःस्थापित किया जाता है-

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग-1/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

9. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023" के नियम-13 में निम्न प्रावधान अंकित है :-

"(i) (क) इन्टरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 1 से 5)- वे अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:-

+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता श्रेणी में दो वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XIIth passed and two year Diploma in Special Education(DSE) in any of the category of disability.)

या

+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में दो वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XII passed and two year Diploma in Special Education (DSE) in any of the category of disability.)

या

सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

या

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

या

बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोमा (Junior Diploma in Teaching the Deaf.)

या

दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary level Teacher Training course in Visual Impairment.)

या

(Diploma in Vocational Rehabilitation & Mental Retardation (DVR&MR)/ Diploma in Vocational Training and Employment & Mental Retardation (DVTE&MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

(Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with special Needs.)

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।

(ii)(क) स्नातक प्रशिक्षित विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 6 से 8)– नियमावली की नियम-3 (च) (ii) (अ) में वर्णित योग्यता में से प्रशिक्षण योग्यता को छोड़कर विहित योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी :-

1. B.Ed. in Special Education from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No. or B.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma) from a RCI approved Institution equivalent to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR No.

2. Six Month training of teaching in cross disability area in inclusive education (**)

(*) RCI makes effort to design and conduct such training programme through its approved Institution for in service/pre-service general teachers.

(**) If the proposed programme (cross disability/top up courses being developed by RCI as an in-service training) is not available, the same may be dopped from the qualification with a condition that those recruited with D.Ed./B.Ed. Special Education or equivalent qualification have to compulsorily undergo aforesaid training as soon as the same is conducted.

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।”

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(i) (क) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य –

वे अभ्यर्थी, जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते हों:-

किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में दो-वर्षीय D.Ed (XIIth passed and 2 years D.Ed. Special Education in any of the categories of disability)

अथवा

किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में एक-वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XIIth passed and 1 year Diploma in Special Education (DSE) in any of the categories of disability.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation

(PGDCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोमा (Junior Diploma in Teaching the Deaf.)

अथवा

दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary level Teacher Training course in Visual Impairment.)

अथवा

(Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

(Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।

(ii) (क) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य - 4

नियमावली के नियम-3(च)(ii)(अ) में वर्णित शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी:-

Graduate with BEd (Special Education) from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No.

OR

BEd (General) with a one-year Diploma in Special Education / BEd (General) with two years Diploma in Special Education with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved Institution equivalent to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR No.

OR

BEd (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGDC) / PG Diploma in Special Education (Mental Retardation) / PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical & Neurological) / PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy) / Secondary level Teacher Training Course in Visual Impairment / Senior Diploma in Teaching the Deaf / BA B.Ed. in Visual impairment.

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।

10. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम-8 (ख) [प्रथम संशोधित नियमावली के नियम 18] में निम्न प्रावधान अंकित हैं :-
इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सीधी नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के कठिनाई का स्तर +2/इण्टर होगा और झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्र.	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
A.	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृत्ति)	100	100	2.00 घंटे
B.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-1428, दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।	100	100	2.00 घंटे
C.	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-	50	50	3.00 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान -	75	75	
	(iii) विज्ञान एवं गणित -	75	75	
कुल		300 + 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	300 + 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य/सहायक आचार्य (उर्दू) के सीधी नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के कठिनाई का स्तर +2/इण्टर होगा और झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्र.	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
A.	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृत्ति)	100	100	2.00 घंटे
B.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-1428, दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।	100	100	2.00 घंटे

C.	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-	50	50	3.00 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान -	75	75	
	(iii) विज्ञान एवं गणित -	75	75	
कुल		300 + 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	300 + 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

नोट : सहायक आचार्य (उर्दू), प्रारंभिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8) के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के स्वरूप संबंधित तालिका के क्रम B में उल्लेखित अधिसूचित भाषाओं में उर्दू भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा।

11. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम-8 (ख) के पश्चात नियम-8 (ख) (i) के रूप में निम्नांकित प्रावधान को अंतःस्थापित किया जाता है :-

इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्र.	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
A.	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृत्ति)	100	100	2.00 घंटे
B.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-1428, दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।	100	100	2.00 घंटे
C.	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी- 50 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ)-50	100	100	3.00 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान -	50	50	
	(iii) विज्ञान एवं गणित -	50	50	
कुल		300 + 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	300 + 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

12. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम-8 (ग) के पश्चात नियम-8 (ग) (i) के रूप में निम्नांकित प्रावधान को अंतःस्थापित किया जाता है :-

स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्र.	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
A	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृत्ति)	100	100	2:00 घंटे
B	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।	100	100	2:00 घंटे
C	सामान्य ज्ञान एवं समासामयिकी-50 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ)-50	100	100	2:00 घंटे
D	वैकल्पिक विषय (कोई एक)-			
I	गणित एवं विज्ञान शिक्षक (i) गणित (ii)भौतिकी (iii) रसायनशास्त्र (iv)वनस्पति विज्ञान तथा (v) प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र पाँच खंड में विभक्त होगा (अभ्यर्थी किसी तीन खंड से ही उत्तर दे सकेंगे)	180	180	
II	सामाजिक विज्ञान शिक्षक - (i) इतिहास (ii) भूगोल (iii) राजनीति विज्ञान (iv) अर्थशास्त्र (v) समाज शास्त्र (vi) लेखा शास्त्र (vii) व्यापार शास्त्र अध्ययन (Business Studies) में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र सात खंडों में विभक्त होगा, जिसमें किसी तीन खंड को ही उत्तर देना होगा।	180	180	3:00 घंटे
III	भाषा शिक्षक-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड राँची के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 द्वारा अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जायेगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जायेंगे।	180	180	
कुल		380+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	380+ 100 (अर्हक प्रवृत्ति)	

13. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022" (यथा संशोधित) के नियम-8 (च) (i) एवं (च) (ii) में निम्न प्रावधान अंकित हैं :-

- (i) इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए निरूपित अनिवार्य विषय के कंडिका-(ख) (B) (i) एवं कंडिका-(ग) (A) (i) (ii) (माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक) में न्यूनतम 30 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों के उत्तर पुस्तिका की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

- (ii) कंडिका-(ग) (C) (i) (ii) (iii) में से प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- (i) इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए निरूपित अनिवार्य विषय के कंडिका-(ख) (B) (i) एवं कंडिका-(ग) (A) (i) (ii) (माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक) में न्यूनतम 30 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों के उत्तर पुस्तिका की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

- (ii) कंडिका-(ग) (C) (i) (ii) (iii) में से प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

नोट : सहायक अध्यापक के मामले में उपर्युक्त कंडिका नियम-8 (च) (i) एवं (च) (ii) को शिथिल किया जाता है।

14. सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के० रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 15/नि01-02/2021 ...127.../ राँची, दिनांक 29/01/2024
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 15/नि01-02/2021 ...127.../ राँची, दिनांक 29/01/2024
प्रतिलिपि:- झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सदस्य राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- 15/नि01-02/2021 ...127.../ राँची, दिनांक 29/01/2024
प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।